फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिक राय (दौसा)

हरियालाल बनाम रमेशचन्द वगै0

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 120/2024

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.11.2024	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर् यह पाया कि प्राईमा फैसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 1388, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406, 1407, 1408, 1409 में आगामी पेशी तक उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी हो।। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 18.12.2024 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	
18/12/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०/ Reg. तामील हेतु दि 7/2/25 को पेश हो।	
7/2/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०/ मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है अतः प्रा०पत्र अस्थाई निषे० खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	